



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19092023-248827
CG-DL-E-19092023-248827

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3957]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 19, 2023/भाद्र 28, 1945

No. 3957]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 19, 2023/BHADRA 28, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2023

का.आ. 4124(अ).—केन्द्रीय सरकार, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 18) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 22 सितम्बर, 2023, को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध, जहां तक इसका संबंध बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) से संबंधित उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों से है, प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. पी-30013/1/2020-बायलर]

राजीव सिंह ठाकुर, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department For Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2023

S.O. 4124(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 (18 of 2023), the Central Government hereby appoints the 22nd September, 2023 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 3, and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Boilers Act, 1923 (5 of 1923) shall come into force.

[F. No. P-30013/1/2020-Boiler]

RAJEEV SINGH THAKUR, Addl. Secy.